रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 2009/ज्येष्ठ 2, 1931
No. 84] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 2009/JYAISTHA 2, 1931

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2009

सं. फा. 9-34/2007/राअशिप/स्थापना.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में विभिन्न स्तरों पर नियुक्ति के लिए भर्ती नियम निर्धारित करने वाले विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (भर्ती) विनियम, 2003 के रूप में 27 मार्च, 2003 को अधिसूचित किए गए थे। अवर सचिव/अनुसंधान अधिकारी (यूएस/आरओ) के पद से संबंधित भर्ती नियमों में कुछ संशोधन काफी समय से विचाराधीन थे और उन्हें परिषद् की 12-12-2008 को हुई बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इसके पश्चात् यूएस/आरओ के पद के भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 27-3-2009 के पत्र संख्या 26-49/2007/ईई-10 के अधीन इस निदेश के साथ मंजूर किए गए कि संशोधित भर्ती नियम अधिसूचित किए जाएं। अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खंड 32(2)(ग) के साथ पठित खंड 10(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा अवर सचिव/अनुसंधान अधिकारी (यूएस/आरओ) के पद से संबंधित निम्न भर्ती (द्वितीय संशोधन) विनियम बनाती है :

1. **लघु शीर्ष और प्रवर्तन**

   1.1 इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाएगा।

   1.2 ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अवर सचिव/अनुसंधान अधिकारी के पद के संशोधित भर्ती नियम इस अधिसूचना के परिशिष्ट के रूप में संलग्न हैं।

3. **प्रतिस्थापन**

अवर सचिव/अनुसंधान अधिकारी के पद के जो भर्ती नियम दिनांक 27 मार्च, 2003 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या 36 फा. संख्या 9-12/2002/राअशिप के अधीन अधिसूचित किए गए थे, वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं।

4. दिनांक 27 मार्च, 2003 की अधिसूचना में यथानिर्धारित अन्य सामान्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

परिशिष्ट-I

अवर सचिव/अनुसंधान अधिकारी (यूएस/आरओ) के पद के भर्ती (संशोधन) विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर, चयन-एवं वरिष्ठता अथवा गैर-चयनात्मक पद	क्या सीसीएस (पेंशन नियमावली) 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ अनुमत्य है	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अवर सचिव/ अनुसंधान अधिकारी (यूएस/आर ओ)	14 (2009)	समूह 'ए' मंत्रालयी	6600 रुपए के ग्रेड वेतन सहित पे बैंड (पीबी-3) रुपए 15,600-39,100* (पूर्व-संशोधित वेतनमान रुपए 10,000-325-15,200) *ये पद, लेक्चरर के लिए लागू यूजीसी वेतनमान में प्रचालित किए जाएंगे यदि ये ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित किए जाते हैं जो कि राअशिप में कार्यभार संभालने से पूर्व यूजीसी वेतनमान में थे ।	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के लिए लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अंतर्लयन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तर्लयन द्वारा भर्ती के मामले में ऐसे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तर्लयन किया जाएगा
(11)	(12)
50% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालीन संविदा सहित) तथा 50% प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा ।	**पदोन्नति :** राअशिप में अनुभाग अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी तथा निजी सचिव जिसने उस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पणी 1.** पदोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड/पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर लिए जाने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी । **टिप्पणी 2.** जब पदोन्नति के लिए ऐसे कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार करना होगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा, अर्हक/पात्रता सेवा के आधी अवधि अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने, अपने ऐसे कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित)

केन्द्रीय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक, अर्द्ध-सरकारी स्वायत्त संस्थानों अथवा अन्य संगठनों के अधीन अधिकारी;

अथवा

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पदों का धारक;

अथवा

(ii) ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पे बैंड 3 अर्थात 5400 रुपए के ग्रेड वेतन सहित रुपए 15600-39100 (पूर्व संशोधित वेतनमान रुपए 8,000-13,500) अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समतुल्य पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित ;

अथवा

(iii) ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पे बैंड 2 अर्थात 4200 रुपए के ग्रेड वेतन सहित रुपए 9,300-34,800 में अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समतुल्य, पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा सहित;

तथा

(ख) निम्न अर्हताएं/अनुभव का धारक हो

(i) विभिन्न शिक्षा निदेशालयों, एससीईआरटी, केवीएस, एनवीएस अथवा ऐसे ही स्कूल/शैक्षिक तंत्र आदि में शैक्षिक प्रशासन का अनुभव;

तथा

(ii) डाटा-आधार प्रबंध प्रणाली जैसी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा आफ-लाइन और आन-लाइन इलेक्ट्रानिक संसाधनों के प्रयोग की जानकारी।

[प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) जिसमें इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व केन्द्रीय/राज्य सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) शामिल है, सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संगठन की सहमति से बढ़ाकर अधिक से अधिक 5 वर्ष तक किया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालीन संविदा सहित) आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन		परिस्थितियां जिनमें भर्ती के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(13)		(14)
1. अध्यक्ष - राअशिप	—अध्यक्ष	लागू नहीं
2. उपाध्यक्ष - राअशिप	—सदस्य	
3. सदस्य सचिव	— सदस्य	
4. एचआरडी मंत्रालय का एक सदस्य	—सदस्य	
5. अध्यक्ष द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	—सदस्य	
6. अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य	— सदस्य	

हसीब अहमद, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/131/09-असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2009

No. F. 9-34/2007/NCTE/Estt.—Regulations laying down Recruitment Rules for appointment of various levels in National Council for Teacher Education were notified on 27th March, 2003 vide National Council for Teacher Education (Recruitment) Regulations, 2003. Some amendments in the Recruitment Regulations (RRs) relating to the post of Under Secretary/Research Officer (US/RO) were under consideration for quite some time and were approved by the Council in its meeting held on 12-12-2008. Subsequently, the proposed amendment in RRs to the post of US/RO has been approved by the Ministry of HRD *vide* their letter No.26-49/2007/EE-10, dated 27-03-2009 with a direction to notify the modified RRs. Now in exercise of the powers conferred under Section 10 (2) read with Section 32(2) (c) of National Council for Teacher Education Act, 1993 and with the approval of the Central Government, the National Council for Teacher Education hereby makes the following Recruitment (Second Amendment) Regulations relating to the post of Under Secretary/Research Officer (US/RO).

1. **Short title and commencement**

1.1 These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recruitment) (Second Amendment) Regulations, 2009.

1.2 They shall come into force from the date of its notification in Gazette of India.

2. Amended Recruitment Regulations to the post of Under Secretary/Research Officer are attached as Appendix-I to this Notification.

3. **Supersession**

The Recruitment Regulations for the post of Under Secretary/ Research Officer notified in the Gazette Notification No. 36 F. No. 9-12/2002/NCTE, dated the 27th March, 2003 stands superseded w.e.f. the date of publication of this notification.

4. Other general conditions as stipulated in the Notification dated 27th March, 2003 remain unaltered.

APPENDIX-I

Amended Recruitment Regulations to the post of Under Secretary/Research Officer (US/RO)

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit, selection-cum seniority or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Under Secretary/ Research Officer (US/RO)	14 (2009)	Group 'A' Ministerial	Pay Band (PB-3)- Rs. 15600-39100* with Grade Pay of Rs. 6600 (Pre-revised ,scale (Rs. 10,000-325-15,200). *These posts will be operated in the UGC scales applicable to Lecturer if they are occupied by incumbents who were in UGC scales prior to joining NCTE.	Selection	N.A.	N.A.

Educational and other Qualifications required for direct recuits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
N.A.	N.A.	N.A.	50% by promotion failing which by deputation (including short-term contract)/and 50% by deputation/contract

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	Composition of Departmental Promotion Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be considered in making recruitments
(12)	(13)	(14)
Promotion: Section Officer/Programme Officer and Private Secretary in NCTE with 8 years of regular service in the grade. **Note 1.**—The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post. **Note 2.**—Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also have to be considered provided they are not short of qualifying/eligibility service by more than half the qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers under the Central/State Governments/ Universities/Recognised Research Institutions/ Public Sector Undertakings/Statutory, Semi Government Autonomous or other organisations :— (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with 5 years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band 3 i.e. Rs. 15,600—39,100 with	1. Chairperson—NCT —Chairman 2. Vice-Chairperson, NCTE —Member 3. Member Secretary —Member 4. One Member from Ministry of HRD —Member 5. One Expert to be nominated by Chairperson —Member 6. Member belonging to SC/ST to be nominated by Chairperson —Member	N.A.

1962 GI/09-2

(12)

Grade Pay of Rs. 5400 (Pre-revised scale Rs. 8,000-13,500) or equivalent in the parent cadre/ department;

or

(iii) with 8 years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band 2 i.e. Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 (Pre-revised scale Rs. 6500-10500) or equivalent in the parent cadre/ department;

and

(b) Possessing the following qualifications/ experience

(i) Experience in educational administration in various Directorates of Education, SCRET, KVS, NVS or such school/educational systems etc.;

and

(ii) Knowledge in use of information and communication technology such as handling data-base management system and use of off-line and on-line electronic resources.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central/State Government shall not ordinarily exceed 3 years which can be extended maximum up to 5 years with the concurrence of the lending organization. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of the receipt of applications.]

HASIB AHMAD, Member Secy.

[ADVT. III/4/Exty/131/09]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2009

सं. फा. 48-3(1)/2008/राअशिप (मानक और मानदंड).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए मानकों और मानदंडों सहित मान्यता प्रदान किए जाने की क्रियाविधि निर्धारित करने वाले विनियम, 10 दिसम्बर, 2007 को अधिसूचित दिनांक 27 नवम्बर, 2007 के राअशिप (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के रूप में प्रख्यापित किए गए थे । इन विनियमों के खंड 5(5) में निर्धारित तारीख से संबंधित मामले पर और आगे पुनर्विचार किया गया और चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-10 से अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए निर्धारित तारीख को संशोधित करने का निर्णय लिया गया ।

तद्नुसार उपर्युक्त विनियमों का संशोधन करते हुए और राअशिप अधिनियम, 1993 के खंड 32(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राअशिप विनियमों में एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है:

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तन

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो उनमें प्रयुक्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमश: वही अर्थ होगा जोकि उपर्युक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है ।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम संस्थानों की मान्यता के लिए मानदंडों, मानकों और क्रियाविधियों, नए कार्यक्रम शुरू करने तथा मौजूदा कार्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों को समाविष्ट करने वाले अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़े सभी विषयों पर लागू होंगे । ये संशोधित विनियम केवल चालू शैक्षिणित सत्र अर्थात् 2009-2010 के लिए अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के वास्ते मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए लागू होंगे और बाद के किसी वर्ष के लिए लागू नहीं होंगे । अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2010-2011 के बाद से विनियमों के खंड 5(5) में उल्लिखित निर्धारित तारीख का कड़ाई से पालन किया जाएगा ।

4. संशोधन की सीमा

राअशिप (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 की धारा 5(5) केवल चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-2010 के लिए विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के वास्ते मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए नीचे बताए अनुसार संशोधित की गई है :

चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-2010 के लिए क्षेत्रीय समितियों के पास बकाया पड़े सभी पूर्ण आवेदन-पत्रों पर संगत विनियमों के प्रावधानों के अनुसार और कालक्रमानुसार क्रम को बनाए रखते हुई कार्रवाई की जाएगीं तथा मान्यता प्रदान किए जाने अथवा इंकार किए जाने से संबंधित अंतिम निर्णय 31 जुलाई, 2009 तक सूचित कर दिया जाएगा ।

हसीब अहमद, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./131/09]

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2009

F.No. 48-3(1)2008/NCTE (N&S).—Regulations laying down the procedure for grant of recognition along with Norms and Standards for various teacher training courses were promulgated by the National Council for Teacher Education *vide* NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007, dated 27th November, 2007 notified on 10th December, 2007. The matter regarding cut off date prescribed in the clause 5(5) of these Regulations has further been reconsidered and it was decided to amend the cut off date for grant of recognition/permission to teacher education institutions for the current academic session i.e. 2009-2010.

Accordingly, in modification of the above Regulations and in exercise of the powers conferred under Section 32(2) of the NCTE Act, 1993, the NCTE hereby makes the following Regulations :

1. Short title and commencement

(1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Second Amendment) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force w.e.f. the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires, all the words and expressions used herein and defined in the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) shall have the same meaning respectively assigned to them in the said Act.

3. Applicability

These regulations shall be applicable to all matters relating to teacher education programmes covering norms, standards and procedures for recognition of institutions, commencement of new programmes and addition to sanctioned intake in existing programmes and other matters incidental thereto. These amended regulations shall be applicable only for grant of recognition/permission to start teacher-training course for the current academic session i.e. 2009-2010 and not for any subsequent year. From the next academic session i.e. 2010-2011, the cut off date mentioned in clause 5(5) of the Regulations shall strictly be enforced.

4. Extent of Amendment

Clause 5(5) of the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007, is modified as under only for grant of recognition/permission for starting various teacher training courses for current academic session i.e. 2009-2010.

All complete applications pending with the Regional Committees shall be processed for the current academic session i.e. 2009-2010 in accordance with the provisions of relevant Regulations and maintaining the chronological sequence and final decision, either recognition granted or refused, shall be communicated by 31st July, 2009.

HASIB AHMAD, Member Secy.

[ADVT/III/4/Exty/131/09]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.